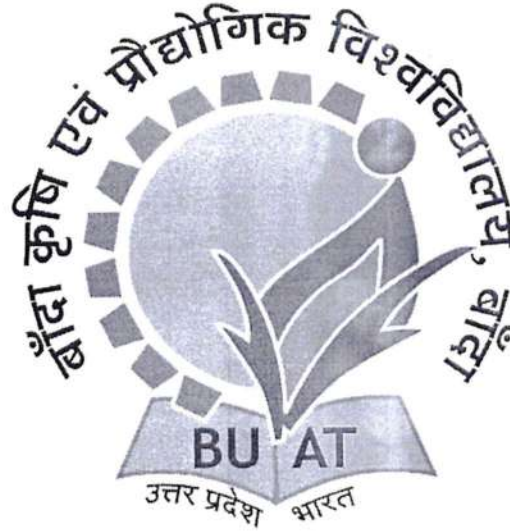


बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
बाँदा (उ०प्र०) 210001



निविदा संख्या— 04 / 2026—27

बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा
के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में मेस संचालन
हेतु निविदा।

सचिव,

विश्वविद्यालय क्रय समिति
बी०यू०ए०टी०, बाँदा



BANDA UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, BANDA (U.P.) 210001

बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा के पुरुष एवं महिला छात्रावासों हेतु मेस संचालन की निविदा की शर्तें एवं प्रतिबन्ध, 2026-27

शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 में बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा के पुरुष एवं महिला छात्रावासों हेतु “छात्रावास मेस” को निम्नलिखित शर्तों एवं नियमों के अन्तर्गत अनुबन्ध पर चलाने के लिए निविदायें आमंत्रित की जाती हैं—

निविदा प्रपत्र के निम्न भाग हैं :—

- (क) छात्रावास मेस भोजन व्यवस्था के लिए निविदादाताओं के लिए शर्तें एवं प्रतिबंध
- (ख) तकनीकी बिड
- (ग) सप्ताहिक मेनू
- (घ) छात्रावासों का विवरण।

निविदा प्रपत्र (क) 2026-27

छात्रावास मेस भोजन व्यवस्था के लिए निविदादाताओं के लिए शर्तें एवं प्रतिबंध

- 1- छात्रावासों हेतु “छात्रावास मेस” की निविदाएँ वर्ष 2026-27 हेतु आमंत्रित की जाती हैं जो कि एक वर्ष तक वैध रहेगी। मेस संचालन की गुणवत्ता तथा सर्विस उच्चकोटी की होने एवं सन्तोषजनक सेवा प्रदान करने पर विस्तारीकरण पर समिति के माध्यम से विचार किया जा सकता है।
- 2- एक मेस ठेकेदार को अधिकतम 02 मेस ही संचालन हेतु आवेदन किया जायेगा।
- 3- निविदा फार्म का शुल्क ₹0 1000.00 (₹0 एक हजार मात्र) वित्त नियंत्रक, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा (उ0प्र0) के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट तैयार करा कर जमा

करना होगा। जिसकी धनराशि वापस देय नहीं होगी। निविदा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.buat.edu.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

- 4- निविदा प्रपत्र के साथ रू० 50,000.00 (रू० पचास हजार मात्र) की धरोहर राशि (Security Money) राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर० जो कि एक वर्ष की अवधि के लिए वित्त नियंत्रक, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा के पदनाम से बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य होगा धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। नगद राशि बैंकर्स चैक एवं चैक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 5- निविदादाता का जी०एस०टी० एवं आयकर में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- 6- निविदादाता के पास राजकीय/उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम राजकीय शिक्षण संस्थानों में दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संतुष्टि प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
- 7- मेस ठेकेदार को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
- 8- निविदादाता का टर्न ओवर रू० 2,00,000.00 (दो लाख रुपये मात्र) होना आवश्यक है, जिस हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 9- निविदायें दिनांक 05.11.2026 को अपरान्ह 4:00 बजे तक पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट/सीधे कार्यालय में स्वीकार की जायेंगी एवं दिनांक 06.11.2026 को अपरान्ह 03.00 बजे सभी निविदायें समिति के समक्ष खोली जायेंगी, समिति द्वारा प्राप्त निविदाओं के परीक्षण उपरान्त मेस आवंटन हेतु अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किया जायेगा।
- 10- बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा का कोई भी छात्र, न तो निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे और न ही संचालन कार्य में भागीदार होंगे।
- 11- परिसर की छात्रावास मेस में व्यावसायिक गैस का उपयोग किया जायेगा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी से खाद्य लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा, एक्सपायरी डेट की कोई भी सामग्री उपयोग नहीं होगी एवं अग्निशामक यंत्र लगाये जाने की जिम्मेदारी मेस ठेकेदार की होगी।

- 12- मेस के सुचारु रूप से संचालन करने हेतु मेस ठेकेदार यह सुनिश्चित करें कि छात्र-छात्राओं को समय पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु छात्र एवं श्रमिकों का अनुपात 15:1 होगा।
- 13- प्रत्येक छात्रावास में एक मेस समिति बनाई जायेगी जिसमें अधीक्षक तथा 5 छात्र/छात्रायें सम्मिलित होंगे, जिनके द्वारा बनाये गये छात्रावास नियमों के पालन करने हेतु मेस ठेकेदार बाध्य होगा। यदि छात्रावास में गठित मेस समिति द्वारा मेस के ठेकेदार से असन्तुष्ट होने की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन जो कार्यवाही करेगा वह मान्य होगा।
- 14- संलग्न निर्धारित सप्ताहिक मेनू के अनुसार (प्रारूप ग) महिला/पुरुष छात्रावास के भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन करनी होगी जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि का भोजन शामिल होगा।
- 15- ठेकेदार को भोजनालय नियमित उपस्थित रहना अनिवार्य होगा ताकि व्यवस्थागत अनुश्रवण के साथ-साथ किसी भी शिकायत का त्वरित निदान कराया जा सके।
- 16- छात्र/छात्राओं को प्रत्येक माह 23 दिन के डार्इट चार्ज का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। विश्वविद्यालय के ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवधि में एवं छात्र व छात्राओं की किसी कारणवश लम्बी अवधि के लिए छात्रावास में अनुपस्थित रहने पर व आकस्मिक सूचना पर इसे मुक्त रखा जायेगा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त धनराशि छात्र/छात्राओं से प्राप्त नहीं की जायेगी।
- 17- राजकीय अवकाश तथा दशहरा, दीपावली, होली, ईद इत्यादि एवं छात्र/छात्रा के अस्वस्थ होने तथा छात्रावास में न होने पर 23 दिन के अनिवार्य डार्इट का चार्ज प्रावधान उन छात्र/छात्राओं पर लागू नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में मेस संचालक छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका की अनुमति के उपरान्त अस्वस्थ छात्र/छात्रा हेतु विशेष प्रकार का व्यंजन, खिचड़ी, दलिया, चिकित्साधिकारी के परामर्श पर भोजन तैयार कर उपलब्ध करायेंगे।
- 18- छात्र/छात्राओं की संख्या 10 प्रतिशत से कम होने की दशा में भोजन की व्यवस्था किए जाने हेतु मेस संचालक स्वतंत्र होगा।

- 19- परिसर की मेस समिति के सदस्यों द्वारा समय-समय पर मेस में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जायेगी। गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर ठेकेदार का ठेका किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
- 20- मेस का ठेका लेने वाले ठेकेदार को अपना तथा मेस में कार्य करने के लिए नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी का पूर्ण विवरण आधार कार्ड सहित ठेकेदार द्वारा प्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटो एवं पूर्ण विवरण के साथ अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं छात्रावास कार्यालय में निविदा स्वीकृति के 07 दिन के अन्तर्गत उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- 21- मेस के सभी कर्मचारियों के पास कार्य के समय अपने पास सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी परिचय पत्र रखना होगा।
- 22- मेस ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्राओं के छात्रावास में महिला कर्मी एवं छात्रों के छात्रावास में पुरुष कर्मी श्रमिक ही मेस का कार्य करेंगे।
- 23- मेस में मदिरापान, धूम्रपान व तम्बाकू सम्बन्धित किसी भी प्रकार की मादक सामग्री अथवा अन्य अवांछित सामग्री का विक्रय व सेवन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा इसके उल्लंघन पर मेस का ठेका निरस्त करने का अधिकार मेस समिति की संस्तुति पर मुख्य छात्रावास अधीक्षक/अधिष्ठाता छात्र कल्याण, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा को होगा मादक पदार्थों के सेवन में यदि कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- 24- मेस से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं की समस्या के निराकरण का अधिकार छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका को होगा, जिसका पालन करना, मेस ठेकेदार को अनिवार्य होगा।
- 25- मेस में पूर्ण अनुशासन बनाये रखने का दायित्व पूर्णरूप से मेस ठेकेदार का होगा। मेस से सम्बन्धित किसी भी समस्या के सम्बन्ध में मेस ठेकेदार स्वयं अपनी समस्या के समाधान हेतु अधीक्षक/अधीक्षिका को अवगत करायेगा मेस ठेकेदार मेस से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान हेतु मेस कर्मचारी/अन्य व्यक्तियों के माध्यम से किसी तरह का दबाव नहीं बनायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो उक्त ठेकेदार द्वारा नियमों का उल्लंघन माना जायेगा। यदि ऐसा प्रकरण प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित मेस ठेकेदार के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

- 26- यदि किसी पूर्व ठेकेदार के द्वारा पुनः निविदा प्रस्तुत की जाती है और यदि उस पर देय बकाया है तो उस स्थिति में उस मेस ठेकेदार द्वारा न्यूनतम निविदा होने की स्थिति में भी उसकी निविदा स्वीकार नहीं होगी जब तक कि वह बकाया देय धनराशि का भुगतान न कर दे और सम्बन्धित से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 27- विद्युत का प्रयोग केवल प्रकाश हेतु ही किया जायेगा मेस में म्यूजिक सिस्टम/डेक/ट्रांजिस्टर/वाद्य यंत्र आदि का प्रयोग निषिद्ध है।
- 28- निविदा स्वीकृति होने की दशा में उपरोक्त सभी नियमों के पालन के लिए एवं परिसर प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों को मानने के लिए सम्बन्धित ठेकेदार प्रतिबद्ध होगा। मेस में वर्तमान में जो भी फर्नीचर मौजूद है उसके अतिरिक्त फर्नीचर छात्रावास मेस समिति की संस्तुति पर दिया जा सकता है फर्नीचर/विद्युत उपकरणों का रख-रखाव का दायित्व मेस ठेकेदार का होगा।
- 29- मेस एवं उसके आस-पास की सफाई एवं मेस से सम्बन्धित अवशिष्ट पदार्थों का निस्तारण का उत्तरदायित्व मेस ठेकेदार का होगा। मेस भवन (किचन एवं डाईनिंग हॉल) एवं उनमें लगे उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व भी मेस ठेकेदार का होगा।
- 30- मेस आवंटन के पश्चात मेस ठेकेदार को विश्वविद्यालय के साथ नियमानुसार रु० 100.00 के नान जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध (एग्रीमेन्ट) नोटरी सहित करना होगा एग्रीमेन्ट करने के उपरान्त ही मेस सौंपी जायेगी।
- 31- विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, अधिष्ठाता छात्र कल्याण तथा मुख्य छात्रावास अधीक्षक को मेस निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा अनुबन्ध शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर उपरोक्त अधिकारियों को ठेकेदार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का पूर्ण अधिकार होगा।
- 32- जो निविदादाता जिस नाम से निविदा प्राप्त करेगा वही व्यक्ति मेस चलाने हेतु उत्तरदायी होगा। उक्त मेस के संचालन हेतु निविदादाता अपने कर्मचारियों के छात्रावास में प्रवेश हेतु अधीक्षक/अधीक्षिका/मुख्य छात्रावास अधीक्षक/अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा जारी अनुमति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
- 33- मेस में पूर्णतः हाइजिनिंक मानको का पालन करना अनिवार्य होगा।

- 34- यदि प्रथम निविदादाता द्वारा अपना कार्य सन्तोषजनक नहीं किया जाता है, बीच में छोड़कर चला जाता है या पूर्ण किराये की पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में उस फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा की गई जमानती धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी।
- 35- श्रम विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- 36- महिला छात्रावासों में समान दरें पाये जाने पर स्वयं सहायता समूह को वरीयता दी जायेगी।
- 37- अपरिहार्य स्थिति में निर्धारित तिथि को समय पर निविदा नहीं खोले जाने की स्थिति में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
- 38- ठेकेदार को अच्छे/उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य सामाग्री का उपयोग करना होगा जिसका निरीक्षण परिसर स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रतिदिन/समय-समय पर भोजन बनाने से पूर्व किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान यदि कोई सामाग्री अच्छे/उच्च गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गयी तो ठेकेदार को सामाग्री बदलनी होगी।
- 39- ठेकेदार को खाना बनाने के लिए इर्धन /गैस भट्ठी/ गैस सिलेन्डर अथवा मेस में काम आने वाले बर्तन (जैसे – डोगा, चम्मच, हाटकेश इत्यादि प्रत्येक टेबल के हिसाब से) एवं भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामाग्री जैसे- खाद्य /भोजन सामाग्री/ सप्ताहिक मेनू के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली सब्जी/दाल/चावल/आटा आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था मेस ठेकेदार को करनी होगी।
- 40- मेस ठेकेदार को भोजन तैयार करने हेतु भोजनालय/डायनिंग हाल/स्टोर कक्ष उपलब्ध कराये जायेगे जिसकी स्वच्छता एवं रख रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मेस ठेकेदार की होगी।
- 41- भोजन तैयार करने हेतु परिवेश की स्वच्छता पर विशेष ध्यान होगा।
- 42- मेस ठेकेदार को प्रत्येक माह छात्र/छात्राओं से भोजन धनराशि को अपने स्तर से लेना होगा।

- 43- छात्र/छात्राओं के छात्रावासों में क्रमशः महिला छात्रावासों हेतु 100 रुपया एवं पुरुष छात्रावासों हेतु 105 रुपया प्रतिदिन प्रति छात्र निर्धारित की गयी है।
- 44- सप्ताहिक मेनू (प्रारूप ग) अतिरिक्त यदि कोई निविदादाता अन्य सुविधा भी देना चाहता है तो उसका निविदा में स्पष्ट उल्लेख करें।
- 45- मेस ठेकेदार को प्रतिमाह रू0 1000.00 की दर से वार्षिक 12000.00 मैस किराया निविदा स्वीकार होने एवं विश्वविद्यालय के साथ अनुबन्ध के समय जमा करना होगा।
- 46- निविदा में प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के उपरान्त निविदा समिति द्वारा अनुभव के आधार पर निर्णय लिया जायेगा एवं लॉटरी सिस्टम से मेस का आवंटन किया जायेगा।
- 47- मेस ठेकेदार द्वारा सभी शासकीय, प्रशासकीय नियमों का पालन करना होगा।
- 48- मेस ठेकेदार को 100 रुपये के नान जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र देना होगा कि जो भी निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें मान्य हैं एवं जो भी जानकारी मेस ठेकेदार के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है वह सत्य है।
- 49- निविदा को बिना कारण बताये विश्वविद्यालय के बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा के माननीय कुलपति महोदय द्वारा अस्वीकार/निरस्त किया जा सकता है।
- 50- किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के निस्तारण हेतु बाँदा न्यायालय होगा।





BANDA UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, BANDA (U.P.) 210001

तकनीकी निविदा प्रपत्र (ख) 2026-27

1. निविदादाता/फर्म का पूरा नाम:.....
2. निविदादाता/फर्म का पता:.....
3. दूरभाष नं० एवं फ़ैक्स नं०:.....
4. ई-मेल पता:.....
5. फर्म का संगठन (एकल स्वमित्व/कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म).....
(पार्टनरशिप फर्म होने की स्थिति में पार्टनरशिप डील की प्रति संलग्न की जायें)
6. पंजीकरण संख्या (प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
(अ) जी०एस०टी०:.....
(ब) आयकर पंजीकरण संख्या :.....
7. फर्म का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
8. आयकर रिटर्न की प्रति (कम से कम एक वर्ष की हो).....
9. अन्य कोई विवरण यदि फर्म के पास हो:.....
10. धरोहर/जमानत धनराशि का विवरण:-
बैंक ड्राफ्ट संख्या:-
बैंक का नाम :-
धनराशि :-

घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सभी कथन मेरे/हमारे संज्ञान में पूर्णतया सत्य है। किसी भी सूचना के असत्य/भ्रामक होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा हमारी फर्म के विरुद्ध लिये गये निर्णय को स्वीकार करेंगे तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील नहीं करेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म की सील



BANDA UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, BANDA (U.P.) 210001

निविदा प्रपत्र (ग) 2026-27

साप्ताहिक छात्रावास हेतु भोजन की सूची (मेनू)

दिन	नाश्ता	दोपहर का भोजन	रात्रि का भोजन
सोमवार	मेथी/आलू/प्याज का पराठा + चटनी/अचार + चाय + बटर (अमूल का)	अरहर की दाल + मौसमी सब्जी + चावल + रोटी + सलाद + चटनी या अचार	मिक्स दाल + मौसमी सब्जी + चावल + रोटी + अचार
मंगलवार	पूड़ी (6 पीस) + सब्जी + चटनी + चाय	राजमा + चावल + रोटी + सलाद + रायता	अरहर की दाल + मौसमी सब्जी + रोटी + चावल + अचार
बुधवार	मैक्रोनी/इडली (4 पीस) + सांभर/ब्रेड बटर (4 पीस) + चाय	अरहर की दाल + मौसमी सब्जी + चावल + रोटी + सलाद + चटनी या अचार	अण्डा (2 पीस) व पनीर + खीर/सेवई + रोटी + पापड़ + चावल + अचार
बृहस्पतिवार	मेथी/सत्तू/प्याज का पराठा + अचार + चटनी + चाय + बटर (अमूल का)	कढ़ी + चोखा + चावल + रोटी + सलाद + चटनी या अचार	अरहर की दाल + रोटी + चावल + दाल + रायता + अचार
शुक्रवार	कचौड़ी (4 पीस) + अचार + चटनी + दही + चाय	मूंग की दाल + मौसमी सब्जी + चावल + रोटी + सलाद + चटनी या अचार	छोला + पूड़ी या रोटी + चावल + चटनी या रायता
शनिवार	भजिया/वड़ा पाव (2 पीस) /सैंडविच + चटनी/अचार + 1 केला	मसूर की दाल + मिक्स सब्जी + चावल + रोटी + सलाद + चटनी या अचार	कोपता + आलू की सूखी सब्जी + चावल + रोटी + अचार
रविवार	पोहा/नमकीन दलिया/उपमा + चाय (1:1 मिल्क + पानी)	पनीर या मशरूम + चावल + मीठा + पूड़ी या रोटी + सलाद + चटनी या अचार	तहरी + पापड़ + रायता + अचार या चटनी



BANDA UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, BANDA (U.P.) 210001

निविदा प्रपत्र (घ) 2026-27

बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बाँदा में संचालित छात्रावासों में छात्र/छात्राओं का विवरण

क्र०सं०	छात्रावास का नाम	छात्रावास में छात्र/छात्राओं की संख्या
1.	वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स छात्रावास	120
2.	शरद छात्रावास	120
3.	हेमन्त छात्रावास	120
4.	बसंत छात्रावास	120
5.	शिशिर छात्रावास	120
6.	आल्हा छात्रावास (पी०जी०)	104
7.	ऊदल छात्रावास (पी०जी०)	104
8.	वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स छात्रावास एनेक्स	115
9.	वेटनरी छात्रावास सं०-01	156
10.	वेटनरी छात्रावास सं०-02	110
11.	वानिकी अस्थाई छात्रावास	90
12.	रानी दुर्गावती छात्रावास	100

नोट— कृषि विश्वविद्यालय में संचालित छात्रावासों में छात्र/छात्राओं की संख्या घट या बढ़ सकती है।

शपथ-पत्र

(रु0 100.00 नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर होना अनिवार्य है)

मैं पुत्र श्री स्थायी पता
..... तहसील जिला का निवासी हूँ तथा सशपथ
निम्न बयान करता हूँ-

1. यह कि शपथकर्ता उपर्युक्त पते का निवासी हूँ एवं इस आशय का प्रमाण (पैन कार्ड अथवा वोटर आईडी) प्रस्तुत कर रहा हूँ।
2. यह कि शपथकर्ता को बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा की छात्र/छात्रा छात्रावास की मेस आवंटित है।
3. शपथकर्ता सत्र में बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा परिसरों, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं बाँदा जिले की शिक्षण संस्थानों में संस्थागत छात्र नहीं था और न ही वर्तमान में है।

हस्ताक्षर

यह कि शपथकर्ता तसदीक करता हूँ कि शपथ पत्र के पैरा 01 से 03 तक सभी तथ्य सही है।

हस्ताक्षर

दिनांक:

मेस ठेकेदार की घोषणा

मैं पुत्र श्री निवासी छात्रावास
का नाम "मेस" को उपरोक्त शर्तों एवं नियमों पर चलाने के लिए
निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेस का सत्र का कुल किराया रु. (अंको में)
..... (शब्दों में) ठेके की अवधि में वर्णित भुगतान शर्तों के
अनुसार करूंगा तथा परिसर के अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करूंगा। इस
पत्र के साथ रु0 की धरोहर राशि की रसीद/बैंक ड्राफ्ट संलग्न
है।

ठेकेदार की पासपोर्ट साईज फोटो

राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित

हस्ताक्षर, नाम ठेकेदार

पिता का नाम

एवं पूर्ण पता

मो0 नं0.

दिनांक

सत्यापित फोटो के अतिरिक्त एक फोटो इस प्रपत्र के साथ जमा करनी होगी तथा अपने स्थाई
एवं वर्तमान निवास का प्रमाण—पत्र टेलीफोन नम्बर सहित देना अनिवार्य होगा।